भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

झाँसी (उ0 प्र0)– 284129

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

रोजगार सूचना संख्या : 01/2007

देश के प्रमुख अभियान्त्रिकी संगठन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों में से एक **बी एच ई एल,** ऊर्जा, परिवहन, ट्रांसमीशन तथा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विश्वस्तरीय उत्पाद विनिर्माण एवं सेवाएं प्रदान करता है। बी एच ई एल की समुचित देश व विदेश में 14 उत्पादन इकाईयां, 04 पॉवर सेक्टर क्षेत्रीय केन्द्र, 08 सर्विस सेन्टर, 18 क्षेत्रीय कार्यालय तथा कई प्रोजेक्ट साइट हैं ।

बी एच ई एल, झाँसी,, एक प्रमुख विनिर्माण उद्यम, जिसमें लगभग 1750 कर्मचारी है, को निम्नलिखित व्यवसाय में **कुशल कर्मचारी (आर्टिजन)** की आवश्यकता है।

व्यवसाय	विद्युतकार	फिटर	कुल
कुल रिक्त पदों की संख्या	68	07	75*
अनुसूचित जाति	15	1	16
अनुसूचित जनजाति	1	0	1
अन्य पिछडा वर्ग(नॉन क्रिमी लेयर)	19	2	21
सामान्य	33	4	37

(उपरोक्त रिक्तियों में से विद्युतकार की दो रिक्तियॉ शारीरिक विकलांग (लोकोमोटर विकलांगता तथा श्रवण शक्ति में कमी) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है)

* 75 रिक्तियों की संख्या जो ऊपर दर्शायी गई है, सूचनात्मक है तथा इन रिक्तियों की संख्या पुनरावलोकन पर परिवर्तित हो सकती है ।

शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता मापदण्ड (शैक्षणिक योग्यता)

i) मैट्रिक/एस एस सी /एसएसएलसी/हाईस्कूल उत्तीर्ण

ii) आई टी आई + राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (NAC) आवेदित व्यवसाय में। आई टी आई तथा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (NAC) परीक्षाओं में निम्नतम उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होना चाहिये।
सामान्य वर्ग हेतु कम से कम 60 % अंक के साथ तथा

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु कम से कम 55 % अंकों के साथ उत्तीर्ण।

iii) आई टी आई तथा एन ए सी परीक्षा का ट्रेड एन सी वी टी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

iv) अभ्यथी जिसका आई टी आई तथा एन ए सी परीक्षा में एक समान व्यवसाय है केवल तभी विचार किया जायेगा।

आरक्षण : 75 रिक्तियों में से 21 रिक्तियां अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) के लिये, 16 अनुसूचित जाति के लिये एवं 01 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं। 02 पद जो शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिये है, में एक पद श्रवण शक्ति विकलांग तथा एक पद लोकोमोटर विकलांग अभ्यर्थी हेतु आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण नियमानुसार है। अन्य पिछडा वर्ग के अन्तर्गत "नॉन क्रीमीलेयर" का अर्थ है डी ओ पी टी – ओ एम संख्या 36033/3/2004– Estt.(RES) दिनांक 09.03.2004 के अनुसार अभ्यर्थी के माता पिता की कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षों में 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्त रिक्तियों की आरक्षित संख्या सूचनात्मक है तथा रिक्तियों के आगामी आंकलन पर एवं समय–समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार संशोधित हो सकती है।

**आयु सीमा तथा छूट : दिनांक 06.10.2007 को आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के मध्य होना चाहिए । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की , अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) अभ्यर्थियों के लिये तीन वर्ष की छूट है। शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष, अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) के लिये 13 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 15 वर्ष की छूट नियमानुसार दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक हेतु आयु सीमा में छूट सरकारी नियमानुसार देय है। दिनांक 01.01.1980 से .31.12.1989 तक की अवधि में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में मूल रुप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षो की छूट दी जायेगी।

संबंधित अनुभव हेतु अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट :

अभ्यर्थी जिनके पास वांछित क्षेत्र में उचित अनुभव है, को निम्नानुसार आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

अभ्यर्थी, जिनके पास सार्वजनिक प्रतिष्ठान या निजी प्रतिष्ठान, जिसका वर्ष 2006–07 का टर्न ओवर कम से कम 150 करोड है तथा जिसमें 50 एम वी ए – 250 एम वी ए या उससे अधिक तथा 132 के वी से 220 के वी वोल्टेज क्लास का पावर परिणामित्र का विनिर्मार्ण होता है, में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कार्य करने का या ठेकेदार के माध्यम से कार्य करने का अनुभव है, को अनुभव के वर्षो के अनुरुप अधिकतम आयु सीमा में 7 वर्ष की छूट है। अधिकतम आयु सीमा में यह 7 वर्ष की छूट उनको दी जाएगी जिन्हें उपरोक्तानुसार नियमित या अनियमित रुप से कम से कम 50 माह का कार्य करने का अनुभव है तथा उससे कम माह का कार्य अनुभव होने पर अधिकतम आयु सीमा में अनुपातिक आधार पर, जैसे कि 49 माह के कार्य अनुभव के लिए (84 x49) = 82 माह, जो कि निकटतम माह हेतु पूणांश किया गया, की अधिकतम आयु सीमा में तदनुसार छूट देय होगी।

विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के अनुसार अनुभव विद्युतकार या फिटर ट्रेड में होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, जहॉ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कार्य करने का या ठेकेदार के माध्यम से कार्य कार्य करने का अनुभव है,, स्वीकार्य होगां। यदि अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो उसका /उसकी ज्वाइनिंग अनुभव प्रमाण पत्र की वैद्यता अनुसार प्रोविजनल होगी ।

यदि चयन प्रकिया दौरान या नियुक्ति उपरान्त किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने अनुभव के बारे में झूठी या गलत जानकारी दी है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी/ सेवा से बिना सूचना के निष्कासित किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र के वैद्यता के संबंध में बी एच ई एल का निर्णय अन्तिम बाध्य होगा।

<u>चयन प्रकिया</u> : चयन प्रकिया के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम से वास्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी । लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु अभ्यर्थियों को अपने खर्चे पर आना होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार में शामिल होना पडेगा। रिक्तियों की संख्या के अनुपात 1:15 में योग्य अभ्यर्थियों को अपने खर्चे पर उक्त लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिये बुलाया जायेगा। उपरोक्त मापदण्ड के अन्तर्गत प्रारम्भ में सभी अनारक्षित

अभ्यर्थियों को प्रत्येक व्यवसाय में उस व्यवसाय के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ, जिन्होनें संबंधित वर्ग हेतु निर्धारित प्राप्तांक तथा अधिकतम आयु में छूट का लाभ नहीं लिया है के साथ समूह में शामिल किया जायेगा तथा NAC में प्राप्त अंकों के गिरते कम में रखा जायेगा तथा केवल ऊपर से आवश्यक संख्या में अभ्यर्थियों को प्रत्येक व्यवसाय की लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा । यदि कट ऑफ अंकों की टाई होने पर जिनके कट ऑफ अंक है, उन्हें लिखित परीक्षा में बुलाया जायेगा । आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्हें प्रारम्भ में अनारक्षित वर्ग के साथ विचार किया गया है एवं जो short list होने पर लिखित परीक्षा में बुलाए नहीं जा सके उन्हें सम्बन्धित ट्रेड में आगे विचार करने हेतु पुन : समूह में शामिल किया जायेगा तथा रिक्तियों की संख्या के अनुंरूप 1:15 अनुपात में उस वर्ग तथा व्यवसाय के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। कट ऑफ अंक के टाई होने की स्थिति में सभी अभ्यर्थी, जिनके कट ऑफ अंक है, को लिखित परीक्षा में बुलाया जायेगा ।

लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के मैरिट कम के आधार पर रखा जायेगा । प्रथम अभ्यर्थी जो अनारक्षित वर्ग में परीक्षा में बैठे है को अनारक्षित रिक्तियों के 1:3 अनुपात में साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। कट ऑफ अंक टाई होने की स्थिति में सभी अभ्यर्थी जिनके कट ऑफ अंक है उन्हें साक्षात्कार में बुलाया जायेगा । इस सूची से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होने परीक्षा अनाारक्षित वर्ग में दी है एवं जो साक्षात्कार में बुलाने हेतु योग्य नहीं हो पाये गये, को आरक्षित रिक्तियों के 1:3 अनुपात में सम्बन्धित वर्ग में पुनः विचार किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों का आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की तरह विचार किया जायेगा। बाद में अन्तिम चयन के समय उक्त विधि को आरक्षित वर्ग के अभ्यथी जिन्हें अनारक्षित वर्ग में शामिल किया गया हो परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा ।

<u>वेतन तथा अन्य लाभ</u> : चयनित अभ्यर्थी को प्रारम्भ में ढाई वर्ष के लिये अस्थायी कर्मचारी के रूप में रखा जायेगा। इस अवधि के दौरान डेढ वर्ष हेतु उनको राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार दैनिक वेतन दिया जायेगा तथा शेष एक वर्ष के लिय समेकित वेतन दिया जायेगा। वर्तमान में दैनिक दर के आधार पर मासिक वेतन रू 4368/— है तथा समेकित वेतन

रू 5500/– है । इसके अतिरिक्त उन्हें स्वयं तथा आश्रित परिवार के सदस्य कम्पनी के नियमानुसार मुफ्त चिकित्सा लाभ के हकदार होंगे तथा subsidized कम्पनी आवास यदि उपलब्ध है तो हकदार होगें। इस अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमित स्थापना में वेतनमान रू 4800-130-5190–ईबी-5255-150-7805/- (पुनरीक्षण के विचाराधीन), के न्यूनतम मूलवेतन पर देय भत्ता, जैसे महंगाई भत्ता, लोकेशन एलाउन्स आदि के साथ आर्टीजन ग्रेड–4 के पद पर नियमित किया जायेगा। नियमितीकरण इस उददेश्य हेतु गठित कमेटी द्वारा उन्हें योग्य पाये जाने पर निर्भर है। नियमितीकरण उपरान्त अन्य लाभों में वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता, LTC/LTA, छुटटी,, कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फन्ड (PF), ग्रेज्युटी,, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप एक्सीडेन्ट इंश्योरेंस आदि नियमानुसार शामिल है। उक्त पद पर नियुक्ति बी एच ई एल स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य पाये जाने पर निर्भर हैं ।

<u>चिकित्सा स्वास्थ्य मानक</u> : चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कम्पनी के निर्धारित स्वास्थ मानकों को पूरा करने पर निर्भर है । स्वास्थ्य मानको में किसी प्रकार की छूट अनुमत नहीं है। शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिये रिक्तियों की संख्या मे ं आरक्षण हेतु लोकोमोटर विकलांगता तथा श्रवण शक्ति में कमी । ''परिभाषा'' द परसन विद डिसेएबिलिटीज (इक्वल अपोर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइटस एण्ड फुल पार्टीसिपेशन) एक्ट 1995 के अनुसार : लोकोमोटर विकलांगता का अर्थ

है कम से कम 40 % अस्थियों, जोड़ों या मांसपेसियों की विकलांगता जो अंगों की सामान्य गति को वास्तविक रुप से बाधित करती हो, श्रवण शक्ति विकलांगता का अर्थ है अच्छे कान में फ्रिक्वेंसी के बातचीत सम्बन्धी क्षेत्र में 60 डेसीबल या अधिक की क्षति होना । शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को अपनी विकलांगता के सम्बन्ध में सरकारी अस्पताल या विकलांगो के लिये विशेष सेवायोजन कार्यालयों से जुड़े मेडिकल बोर्ड से प्राप्त विधिवत स्टेम्प मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1. <u>सामान्य निर्देश</u> : अन्य पिछडा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यथी श्रेणी आवेदन पत्र में ध्यान से भरें, क्योंकि इसे बाद में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं हैं । अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थी जो नॉन क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते है, अपनी श्रेणी सामान्य अंकित करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र में अंकित की गई श्रेणी के प्रमाण में निर्धारित प्रारुप पर दस्तावेज संलग्न नहीं करते है तो उनका आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण निरस्त कर दिया जायेगा। श्रेणी जो एक बार घोषित कर दी गई, यदि बाद में गलत पाई गई तो अभ्यर्थी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें सेवा से निष्कासन तथा दण्ड शामिल है।

2. सरकारी/अर्धसरकारी/ओटोनामस वॉडी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी उचित माध्यम द्वारा अपना आवेदन पत्र भिजवाए या साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

3. अभ्यर्थी जिन्होने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ लेकर छोडा हैं, का यदि चयन होता है, तो उन्हें एच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर मुआवजा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वापस करना होगा।

4. अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि आवश्यक योग्यता मापदण्ड आवेदित पद हेतु जो निर्धारित हैं, पूरा करते हो । चयन प्रक्रिया के समय या नियुक्ति होने के उपरान्त भी यदि यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने झूठी एवं गलत सूचना दी है या कोई सम्बन्धित सूचना/आवश्यक जानकारी छिपाई है या आवश्यक योग्यता मापदण्डों को पूरा नही करते है, तो उसका/उसकी उम्मीदवारी/सेवाएं बिना सूचना के समाप्त कर दी जायेंगी।

5. आवेदन पत्र जो कि अधूरे है या पढ़ने योग्य नही है या दर्शाए गये समस्त संलग्न के साथ नही है या अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त हुए है तो ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें एवं इस सम्बन्ध कोई पत्र व्यवहार नही किया जयेगा।

6. किसी भी प्रकार की सिफारिश अयोग्यता मानी जायेगी तथा यह अभ्यर्थी के चयन हेतु अयोग्यता होगी ।

7. साक्षात्कार में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक स्टेशन या डाक का पता, जो साक्षात्कार स्थल से नजदीक है, से अपनी यात्रा के प्रमाण में टिकट प्रस्तुत करने पर आने जाने का न्यूनतम दूरी का द्वितीय किराया भुगतान किया जायेगा।

8. किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (jurisdiction) उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा तथा इस संबंध में अंग्रेजी विज्ञापन अन्तिम रुप से मान्य है।

9. गैर वापसी प्रकमण शुल्क रुपये 125/– दो किश्तो में, आवेदन पत्र के साथ रुपये 50/– तथा लिखित परीक्षा में बुलाये जाने पर रुपॅयें 75/– का रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट, **जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झॉसी** के पक्ष में **भारतीय स्टेट बैंक झॉसी** पर देय , सामान्य तथा अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों को देना होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को इस शुल्क को देने से मुक्त रखा गया है।

<u>आवेदन पत्र भरने की विधि</u> :–

बी एच ई एल की वेब साइट http://www.bhel.com या http://www.bheljhs.co.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है।

अभ्यर्थी जो योग्यता मापदण्ड को पूरा करते है, A-4 आकार के सादे सफेद कागज पर निर्धारित प्रारुप में हस्तलिखित या टाईप किया हुआ अपना आवेदन निम्न पते पर आवेदन पत्र के साथ प्रकरण शुल्क रुपये 50/– की पहली किश्त का गैर वापसी रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट, **जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झॉसी** के पक्ष में **भारतीय स्टेट बैंक झॉसी** पर देय हो, आवश्यक संलग्नक सहित निम्नलिखित पते पर भेजें तथा अपने आवेदन पत्र के साथ 5 इंच x 11 इंच आकार के बिना टिकट लगे, स्वय का पूर्ण पता लिखे हुए दो खाली सफेद रंग के लिफाफों को भी संलग्न करें :–

वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन),
मानव संसाधन विभाग, प्रशासनिक भवन,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
झॉसी (उ0 प्र0)– 284129

– लिफाफे पर **'' बी एच ई एल, झॉसी में आर्टीजन पद हेतु आवेदन ''** लिखा होना चाहिए ।

– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक विकलांग अभ्यर्थी उक्त शुल्क से मुक्त है।

आवदेन पत्र के साथ निम्न संबंधित प्रमाण पत्रों / कागजातों की छायांकित प्रति, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो, को निम्न कम में संलग्न कर भेजें :

1. जन्म तिथि प्रमाण पत्र
2. एस एस सी /10 वी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र तथा अंकलिपि
3. आई टी आई (एन टी सी) अंक लिपि– प्रमाण पत्र
4. एन ए सी (राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र)
5. जाति/जनजाति प्रमाण पत्र – अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियों हेतु ।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र (नॉन क्रिमी लेयर स्थिति दर्शाते हुए)
7. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को एक स्वयं घोषणा पत्र जैसा कि नमूने में दिया गया है देना होगा कि वे अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) के अन्तर्गत आते हैं ।
8. शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र में विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट अंकित हो ।
9. भूतपर्व सैनिक के मामले में डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जिसमें सेवा की अवधि लिखी हो।
10. यदि अनुभव है, तो कम्पनी जहॉ कार्य कर चुके हैं/कर रहे हैं का प्रमाणपत्र संलग्न करें।
11. जम्मू /कश्मीर के अभ्यर्थी यदि अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते है तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

– उपरोक्त संबंधित कागजातों के बिना आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा।

– आवेदन प्रत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06.10.2007 है।